निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **FR-77** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के माह 01/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गो वंद कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री एफ.आर. खान व.ले.प. द्वारा दिनांक 11.09.2017 से 20.09.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, स.ले.प.अ. एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 28.01.2016 से 08.02.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2013 से 12/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2013 से 12/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 01/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 01/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः वानिकी कार्य एवं पौड़ी रेंज, पैठाडी रेंज, थैलीसेड़ रेंज, पोखड़ा रेंज, धूमाकोट रेंज एवं दमदेवल रेंज का क्षेत्र।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	240.22
2015-16	281.86
2016-17	222.92

(ii) (ब) बजट <u>का विवरण</u>

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014-15	-	-	1162.22	1162.22	250.85	250.85
2015-16	-	-	1021.82	1021.82	113.47	113.47
2016-17	-	-	1094.99	1094.99	323.58	323.58

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय
2015-16	ईंटी स फकेशन	-	5.45	5.45
2016-17	फॉरेस्ट मैनेजमेंट		16.09	16.09

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केंद्र एवं राज्य सरकार) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक → मुख्य वन संरक्षक → वन संरक्षक → प्रभागीय वना धकारी।

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

प्रतिचयन..... .....------..... ..... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

(अति गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर-1

(इस भाग में निय मतता से संबं धत मामले/व शष्ट वषयों के मामले एवं औ चत्य से संबं धत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत कये जांय)

भाग-II 'ब'

(गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर-1

(इस भाग में निय मतता तथा औ चत्य दोनों से संबं धत प्रासं गक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा व शष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II-अ

प्रस्तर-1

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1

(राजस्व)

भाग दो ब

प्रस्तर–1: लीसा के घावों पर लीसा धोहन कार्य न कये जाने तथा डीपो पर लीसा के लीक होने के परिणामस्वरूप रू 11.92 लाख की राजस्व क्षति।

(अ) प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के लीसा से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2015 एवं 2016 के दौरान क्रमशः 83900 एवं 107397 घावों पर लीसा के दोहन का कार्य किया गया। इन वर्षों में क्रमशः 4600 तथा 2330 घावों पर बिलकुल कार्य न किए जाने के कारण इन वर्षों में ₹ 5.30 लाख का राजस्व कम प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	निर्धारित घाव	कुल घाव जिन पर कार्य हुआ	प्रति घाव पर निर्धारित प्राप्ति किग्रा में	जिन घावों पर कार्य हुआ उन से प्राप्ति कुन्तल में अपे क्षत	वास्तविक उत्पादन	घाव जिन पर कार्य नही किया गया कमी	घावों पर कार्य न किये जाने से कम उत्पादन	वर्ष के दौरान औसत उत्पादन शुल्क प्रति कुन्तल (₹ में)	वर्ष के दौरान औसत विक्री प्रति कुन्तल (₹ में)	राजस्व प्राप्ति प्रति कुन्तल	राजस्व क्षति (₹ में
2015	88500	83900	3	2655	3015.91	4600 (88500–83900)	4600 X 3 =13800 किग्रा या 138 कुन्तल	4832	7500	2668 (7500–4832)	138 X 2668 = 368184
2016	109727	107397	4	4389.08	4633.59	2330 (109727–107397)	2330 X 4 =9320 किग्रा या 93.20 कुन्तल	4155	5900	1745 (5900–4832)	93.20 X 1745 = 162634
योग				6930			231.20				5,30,818

उक्त को इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गयी एवं अवगत कराया गया कि वर्ष 2015 में 4600 लीसा घावों पर ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं किया गया जिसके कारण उनसे धरोहर धनराशि का 10 प्रतिशत वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2016 में, 2230 घावों पर टिपान हेतु कोई भी निविदा प्राप्त न होने के कारण लीसा विदोहन नहीं संभव हो सका।

प्रभागीय वनाधिकारी के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

(ब) मजदूरो द्वारा चीड़ के पेड़ पर घाव किए जाने के उपरांत लीसा को कंटेनर मे जमा किया जाता है तथा एकत्रित किए गए लीसा को टीन्स मे भर लिया जाता है इस के उपरांत मजदूरो द्वारा इन लीसा से भरे हुए टीन्स को जंगलात डिपो तक पहुचाया जाता है तथा जंगलात डिपो से खच्चर या घोड़ो से रोड हैड डिपो तक इसके पश्चात रोड हैड डिपो से लीसा ट्रक द्वारा डिपो तक लाया जाता है जहा से लीसा की नीलामी द्वारा बिक्री की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान लीसा की छीजन अनुमन्य नहीं है।

प्रभाग के लीसा डिपो से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक 482.88 कुंतल लीसा डिपो मे लीक हुआ जिससे ₹ 6,60,531 के राजस्व की क्षति हुई जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	लीसा की बिक्री का औसत दर (प्रति कुंतल ₹ मे)	लीक लीसा की बिक्री दर (प्रति कुंतल ₹ मे)	लीक लीसा और लीसा के औसत दर मे अंतर (2-3)	लीक लीसा की मात्रा (कुंतल मे)	राजस्व क्षति (4 **X** 5)
1	2	3	4	5	6
2014-15	7700	6900	800	97.57	78056
2015-16	7500	5000	2500	147.31	368275
2016-17	5900	5000	900	238.00	214200
योग					660531

उक्त को इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गयी एवं अवगत कराया गया कि तापमान में वृद्धि होने एवं लीसा की दरों में गिरावट होने के कारण इसकी समय से बिक्री न किए जाने के कारण लीसा लीक हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(राजस्व)

भाग दो ब

प्रस्तर- 02 लीज वन भू म का कराया वसूल न कया जाना `**8.65** लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 156/I-1-2006-(500)/2002 दिनांक 09.09.2005 के द्वारा वन भू म पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भू म का मूल्य (प्री मयम)/वा र्षक लीज रेंट का निर्धारण के संबंध मे निर्देश दिये गए। जिसमे वन संरक्षण अ धनियम 1980 लागू होने के पूर्व वन वभाग द्वारा व भन्न प्रयोजनों हेतु आर क्षत वन भू म पर स्थायी/दीर्घकालीन एवं अस्थायी/ दीर्घकालीन लीजे स्वीकृत की गयी थी। वन संरक्षण अ धनियम 1980 लागू होने के उपरांत कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क प्रभाग कुल में 146 लीज स्वीकृत की गयी थी। जिसमें 1980 से पूर्व की 23 लीज (कुल क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर) को नवीनीकृत नहीं कराया गया है और न ही इनका लीज रेंट `11,162 जमा करवाया गया है। इसी प्रकार, 1980 के पश्चात की 47 लीज का लीज रेंट ` 8,54,234 भी जमा नहीं करवाया गया है। इस प्रकार, लीज वन भू म का कराया वसूल न कये जाने से ` 8.65 लाख राजकोष में जमा नहीं करवाया जा सका है।

उक्त को इं गत कए जाने पर प्रभाग द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गयी और अवगत कराया गया क लीज रेंट के जमा करवाने की कार्यवाही की जाएगी एवं अन्य लीजों का ववरण उपलब्ध करा दिया जाएगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग दो अ

प्रस्तर – 01 क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर कैम्पा दिशानिर्देशों का पालन न किए जाने के कारण ₹ 1.12 करोड़ के व्यय के **उद्देश्यों की पूर्ति न होना।**

कैम्पा योजना वन भूमि के गैर वन भूमि उद्देश्यों हेतु हस्तांतरण के कारण वन भूमि के क्षेत्रफल में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए संचालित होती है। इस के दिशा निर्देशों के विभिन्न प्रस्तरों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विषय में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है-

पैरा 3.2 Land for Compensatory Afforestation. –

(i) Compensatory afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

पैरा 3.4 Lands identified for Compensatory Afforestation to be Transferred to the Forest Department. –

(i) Equivalent non-forest land identified for the purpose are to be transferred to the ownership of the State Forest Department and **declared as reserved/protected forests,** so that the plantation raised can be maintained permanently. The transfer must take prior to the commencement of the project. (ii) The compensatory afforestation should clearly be an additional plantation activity and not a diversion of part of the annual plantation programme.

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 (वृक्षारोपण वर्षाकाल 2016) एवं 2016-17 (वृक्षारोपण वर्षाकाल 2017) में क्रमशः 30 हेक्टेयर एवं 75.73 हेक्टेयर सिविल/गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया जिस पर कुल ₹ 1.12 करोड़ (2015-16 में 30 हेक्टेयर का अग्रिम मृदा कार्य लागत ₹ 25.54 लाख + 2016-17 में 30 हेक्टेयर का वृक्षारोपण लागत ₹ 8.97 लाख + 2016-17 में 75.73 हेक्टेयर का अग्रिम मृदा कार्य लागत ₹ 54.37लाख + 2017-18 में 75.73 हेक्टेयर का वृक्षारोपण लागत ₹ 22.64 लाख) का व्यय हुआ। तथापि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दिशानिर्देशों के अनुसार **वृक्षारोपन किए जाने से पूर्व** सिविल/गैर वन **भूमि का वन विभाग को हस्तांतरण नहीं किया गया एवं नहीं उक्त भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित करने का कोई** प्रयास प्रभाग द्वारा किया गया। इससे, ₹ 1.12 करोड़ के व्यय के अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि कैम्पा योजना का एकमात्र उद्देश्य आरक्षित वन भूमि के गैर वन भूमि प्रयोजन हेतु हस्तांतरण से आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल में होने वाली कमी को पूरा करना है।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा पुष्टि की गयी की उक्त वृक्षारोपण हेतु ₹1.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। साथ ही यह भी बताया गया कि जिस सिविल/गैर वन भूमि में वृक्षारोपण कार्य किया गया है उसे हस्तांतरण करने एवं आरक्षित वन भूमि घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रभाग के उत्तर से लेखापरीक्षा की आपत्ति की पुष्टि होती है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग दो अ

प्रस्तर – 02 पौधशाला पर निष्फल व्यय ` 25.69 लाख।

दिसंबर 2013 में प्रभागीय वनाधिकारी- गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति कुल ` 20 लाख के लिए थी जिसके अंतर्गत 250000 पौध प्रतिवर्ष उत्पादित की जानी थी। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात नोडल संस्था जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर द्वारा मार्च 2014 तक समस्त धनराशि ` 20 लाख को प्रभागीय वनाधिकारी- गढ़वाल वन प्रभाग को उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बदले में उत्पादित पौध को जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना था।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त पौधशाला में प्रभाग द्वारा केवल एक बार 2014-15 में 2 लाख पौध ही उत्पादित किया गया जिसमें से 16500 पौध जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को निःशुल्क उपलब्ध कारवाई गयी एवं 59000 पौध मर गयी। अवशेष पौध अभी पौधशाला में उपलब्ध बताई गयी। प्रभाग द्वारा यह भी बताया गया कि पौधशाला पर अद्यतन भारत सरकार द्वारा प्राप्त ` 20 लाख की धनराशि के साथ साथ कुल ` 25.69 लाख की धनराशि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से पौध के अनुरक्षण पर व्यय की गयी है। वर्तमान में पौध के अनुरक्षण हेतु कोई भी मानव शक्ति प्रभाग द्वारा नहीं लगाई गयी है । चूंकि पौध अभी तक न तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को दी जा सकी है और न ही इसे विभागीय योजनाओं में उपयोग किया गया है अतः, मानव शक्ति के अभाव में सम्पूर्ण पौध का समाप्त होना निश्चित है। अतः, पौधशाला पर किया गया अद्यतन व्यय ` 25.69 लाख निष्फल रहा है।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि की गयी और बताया गया कि पौध को जड़ी बूटी शोध संस्थान को सौंपने के प्रयास किये जाएँगे।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग दो ब

प्रस्तर 03- अनियमित व्यय ₹ 19.35 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, **गढ़वाल** वन प्रभाग, **पौड़ी** की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस द्वारा **जनवरी 2016** से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी थी तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 01/2016 से 03/2017 तक ₹ 19.35 **लाख** का भुगतान किया गया था। मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस श्रम शक्ति बिना निविदा/कोटषन के आमंत्रण के बिना लिया गया था। जबकि उक्त सर्विस प्राप्त किये जाने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके। नियमानुसार निविदा का आमंत्रण न करके ₹ 19.35 **लाख** का अनियमित व्यय किया गया था।

उक्त को इंगित किये जाने पर **प्रभाग** द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च अधिकारियों **के** निर्देशानुसार **ही तथा निर्धारित न्यूनतम विभागीय दरों पर सेवा उपलब्ध करवाने के कारण ही गर्ग कांट्रैक्ट सर्विस से सेवा ली गयी तथा निविदा नहीं की गयी**।

विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योकि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था **एवं निविदा के फलस्वरूप एजेंसी को दिये जाने वाले सर्विस चार्ज में कम दर प्राप्त हो सकती थी जिससे राजकीय धन की बचत होती।** अतः ₹ 19.35 लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-04 लेंटाना उन्मूलन कार्य तीन वर्षो तक लगातार नहीं कए जाने के फलस्वरूप ₹ 14.00 लाख का निष्फल व्यय।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवशयक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के अ भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभा वत क्षेत्र के उपचार तथा उन्मूलन हेतु 232 हेक्टेयर पर ₹14.00 लाख का व्यय प्रथम वर्ष के उपचार के लए कया गया है जब क द् वतीय वर्ष (2016-17) हेतु कोई उपचार कार्य नहीं कया गया जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय निष्फल रहा।

उक्त को इं गत कए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क बजट के अभाव में अगले वर्षो मे उपचार नहीं कया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क लेंटाना उन्मूलन का कार्य लगातार तीन वर्षों तक लया जाना चाहिए था। इस प्रकार तीन वर्षों तक लगातार लेंटाना उन्मूलन संबंधी कार्यवाही न कए जाने से ₹14.00 लाख के निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-05 अधोमानक अ ग्रम मृदा कार्य पर ₹ 6.90 लाख का व्यय।

उत्तराखण्ड में प्रभावी वृक्षारोपण संहिता के अनुसार वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य माह नवम्बर से प्रारंभ होकर माह फरवरी तक समाप्त हो जाना चाहिए ताकि खुली मिट्टी व गड्ढे को वेदरिंग हेतु 3–4 माह का समय मिल जाता है। अग्रिम मृदा कार्य की गुणवत्ता उचित रहने से वृक्षारोपण की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

प्रभाग के माह मार्च 2016 एवं 2017 के वाउचरों की जांच में पता चला कि रेंज में गड्ढे खुदान का ` 6.90 लाख मूल्य का कार्य मार्च माह में संपन्न किया गया। ऐसा करके न केवल वृक्षारोपण संहिता में उल्लिखित विभागीय मानकों का उल्लंघन किया गया साथ ही इसके कारण से वृक्षारोपण की सफलता भी प्रभावित होगी।

इसके वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने आश्वासन दिया क भ वष्य में अ ग्रम मृदा कार्य समय पर संपन्न करवाया जाएगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-06 सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त कए बिना ₹25.77 लाख का व्यय कया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43(ग) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाय जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशाासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो तथा बिन्दु 43(घ) के अनुसार जिन कार्यों की लागत ` 5,00,000 (` पांच लाख) से अधिक हो उसमें खुली निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाना चाहिये।

प्रभाग के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में बिना वन संरक्षक की स्वीकृति प्राप्त किये **ही ₹ 25.77 लाख के कार्य** पूर्ण करा दिये गये (संलग्नक 01) तथा लेखापरीक्षा तिथि तक प्रभाग को निम्नलिखित निर्माण कार्यो की स्वीकृति वन संरक्षक कार्यालय से प्राप्त नहीं हुयी थी।

क्रम संख्या 07 एवं 08 पर अंकित निर्माण कार्य हेतु प्रभाग द्वारा 2 प्राक्कलन वन आरक्षी चौकी स्योलीखण्ड नव निर्माण ₹ 7,62,000 एवं पैठानी रेज परिसर में माली हट नव निर्माण ₹5,94,000 कार्य को प्रभाग द्वारा खुली निविदा आंमत्रित करके नही कराया गया है। अतः, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत ₹ 13.56 लाख मूल्य का कार्य अनियमित रूप से संपादित करवाया गया एवं ₹ 25.77 लाख मूल्य का कार्य अनियमित रूप से संपादित करवाया गया।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्राभागीय वनाधिकारी ने उक्त तथ्यों कि पुष्टि की एवं बताया कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
188/2015-16	-	01
19/2003-04	-	04
37/2004-05	-	01,02,03,04
56/2005-06	01,03	01,02,03
05/2007-08	01,02	01
16/2001-12	-	01,02
78/2013-14	-	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
   1- अवैध पातन से संबंधित सूचना।
   2- H-1 एवं H-2 से संबंधित सूचना।
2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री रमेश चन्द्र	(भा.व.से.)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति **प्रभागीय वना धकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी** को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी